न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 19/2015

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
सीताराम पुत्र प्रभूराम जाति रावल निवासी रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही	1	कालुराम पुत्र प्रभुराम
	2	रमेश कुमार पुत्र प्रभूराम जातिगण रावल निवासीण्गा रोहिडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
	3	राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–
श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री वीरेन्द्र चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

–: निर्णय :–

दिनांकः–30.1.19

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 85/2014 सीताराम बनाम कालूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 आपस में भाई है तथा जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 व 2 की सह खातेदारी के तौर पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। जैर अपील विवादित आराजी सहित अन्य भूमियों एवं सम्पति के सम्बन्ध में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति से विभाजन हुआ है, जिसमें चार भूखण्ड रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को दिए गए है, जिसके बदले जैर अपील विवादित आराजी अपीलाण्ट को प्रदान की गई है। वक्त बंटवाडा रेस्पोडेन्ट ने अपीलाण्ट के पक्ष में हकतार्कनामा निष्पादित करने का आश्वासन

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

दिया था, किन्तु कालान्तर में भूमि की कीमतें बढ़ने से रेस्पोडेन्ट की नियत में खोट आ गया एवं उन्होने हकतर्कनामा निष्पादित करने से इन्कार कर दिया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में आदेश पारित करते हुए दोनों पक्षों को पाबन्द किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमित क्षति, तीनों ही बिन्दु अपीलाण्ट के पक्ष में साबित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट के साथ साथ अपीलाण्ट को भी अस्थाई व्यादेश से पाबन्द किया गया है। इस कारण जैर अपील आदेश विधिक दृष्टिकोण से त्रुटीपूर्ण होने से खारिज़ योग्य हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत के तहत आदेश पारित किया गया है, जबकि लोक अदालत के तहत आपसी राजीनामा से ही प्रकरण के निस्तारण के प्रावधान है। प्रकरण हाजा में पक्षकारान् द्वारा किसी प्रकार से राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसके बावजूद भी लोक अदालत के तहत निर्णय पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त कराते हुए माफिक अनुतोष अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का बराबर हक हिस्सा निहित हैं। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का आधार विभाजन की लिखत एवं प्रतिकूल कब्जा हैं। वास्तविकता यह है कि जिस विभाजन लिखत को वाद का आधार बताते है, उससे विधिक रूप से कोई अधिकार तय नहीं होते हैं तथा सह खातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इस कारण अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत वाद ही त्रुटीपूर्ण एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध था। रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें वास्तविक तथ्यों को न्यायालय के संज्ञान में लाया गया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत में दोनों ही पक्षों की उपस्थिति में गुणावगुण पर निर्णय पारित करते हुए पक्षकारान् को जैर अपील विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उससे सम्बन्धित मूल वाद में अपीलाण्ट द्वारा पक्षकारान् के मध्य निष्पादित बंटवाडा दिनांक 27.11.2010 के आधार पर जैर अपील विवादित स्वयं के हिस्से में होने एवं उक्त भूमि पर वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-सिरोही

1975 से ही अपीलाण्ट का कब्जा होना जाहिर करते हुए खातेदारी अधिकार प्रदान कराने का निवेदन किया तथा दौराने वाद रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश से पाबन्द कराने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए अपीलाण्ट के कथनों को नकारा एवं काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाण्ट को जरिये अस्थाई व्यादेश के पाबन्द कराने का निवेदन किया। इस प्रकार दोनों ही पक्षों द्वारा एक–दूसरे के ख़िलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। जैर अपील विवादित आराजी राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम बतौर सह खातेदारी दर्ज हैं। हालांकि पक्षकारान् के मध्य निष्पादित विभाजन पत्र दिनांक 27.11.2010 प्रकरण को विधिक दृष्टिकोण से किस हद तक एवं किस रूप में प्रभावित करता है तथा एक सह खातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान की जा सकती है अथवा नहीं ? इन तथ्यों का विनिश्चय मूल वाद में तनकीयात कायम होकर, उन पर संग्रहित साक्ष्यों के आलोक में तनकीयात विनिश्चिय पर ही संभव होगा, जिन पर प्रकरण हाजा में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं हैं, किन्तु विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहाँ पक्षकारान् के मध्य विवाद हो, वहां विवादित सम्पति की रक्षा करने का दायित्व न्यायालय का होता हैं इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये दोनों ही पक्षों को विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द किया गया हैं, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा पारित राजस्व विविध प्रकरण संख्या 85/2014 सीताराम बनाम कालूराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 17.06.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.1.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही